

दिनांक / अवाक - दिनांक 21/3/2020 को पेश हो

142

दिनांक

31/3/20

प्रत्रावली पेश हुई/वकील उभयपक्ष उपस्थित है P.O. Sb. अवकाश पर/चुनाव कार्य में व्यस्त/यात्रा पर/अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 1.3.15/20 को पेश हो

13/20

प्रत्रावली पेश हुई/वकील उभयपक्ष उपस्थित है P.O. Sb. अवकाश पर/चुनाव कार्य में व्यस्त/यात्रा पर/अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 11/1/20 को पेश हो

24/20

प्रत्रावली पेश हुई/वकील उभयपक्ष उपस्थित है P.O. Sb. अवकाश पर/चुनाव कार्य में व्यस्त/यात्रा पर/अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 5/8/20 को पेश हो

5/8/20

प्रत्रावली पेश हुई/वकील उभयपक्ष उपस्थित है P.O. Sb. अवकाश पर/चुनाव कार्य में व्यस्त/यात्रा पर/अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 16/9/20 को पेश हो

16/9/20

प्रत्रावली पेश हुई/वकील उभयपक्ष उपस्थित है P.O. Sb. अवकाश पर/चुनाव कार्य में व्यस्त/यात्रा पर/अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 26/10/20 को पेश हो

26/10/20

प्रत्रावली पेश हुई/वकील उभयपक्ष उपस्थित है P.O. Sb. अवकाश पर/चुनाव कार्य में व्यस्त/यात्रा पर/अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 27/11/20 को पेश हो

27/11/20

प्रत्रावली पेश हुई/वकील उभयपक्ष उपस्थित है P.O. Sb. अवकाश पर/चुनाव कार्य में व्यस्त/यात्रा पर/अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 1.12.12 को पेश हो

15/12/20

प्रत्रावली पेश हुई/वकील उभयपक्ष उपस्थित है P.O. Sb. अवकाश पर/चुनाव कार्य में व्यस्त/यात्रा पर/अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 23/12/20 को पेश हो

Not Press

17/12/20

प्रत्रावली आज वकील वादीगण श्री सतुल चौधरी, एस ने वकालतमात्रा व आवेदन छाहत मिसल तलबी पेश करने पर पेशी में ली गई। उपस्थित वकील वादीगण व वादीगण स्वयं ने प्रभावली पर 'Not Press' अंकन कर प्रभावली को खारिज किये जाने का निवेदन किया प्रभावली का इवलोकन किया। उपस्थित वकील को सुना डवा मुताबिक 'Not Press' अंकन के प्रभावली रही

Handwritten notes and signatures at the bottom left.

यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, धोद, मु. सीकर

नॉमिनेटिड ऑफिसर वनाम नॉमिनेटिड ऑफिसर

संख्या मुकदमा दावा मु. नं. 184 वर्ष 2014

देनांक आज्ञा-पत्र

इतर पर खारिज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही उपेक्षित नहीं है। पत्रावली के तहत भुगतान होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर है। ५५



उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर